Shot on realme 2 Pro

रांची, सोमवार
17.02.2020
प्रभात खबर

महुआडांड़ में छठा विधिक जागरूकता सह सशक्तीकरण शिविर

संविधान में सभी को न्याय व सुविधा पाने का अधिकार

10 करोड़ 13 लाख रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण

प्रतिनिधि ▷ महुआडांड़

अनुमंडल कार्यालय परिसर में छठा विधिक जागरूकता सह सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन व दिव्यांग लाभुकों ने दीप प्रज्वलित कर किया. डॉ रवि रंजन ने ग्रामीणों का अभिनंदन करते हुए उन्हें अपने हक एवं अधिकार के प्रति जागरूक किया. उन्होंने कहा कि संविधान में सभी को न्याय एवं सुविधा पाने का अधिकार है. मौके पर न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आज न्यायालय आपके बीच आया है, लेकिन आज इसका उद्देश्य मुकदमों को सुनना नहीं, बल्कि यह आपको आपका हक दिलाना है. सरकार के माध्यम से योजनाएं तो संचालित हो रही हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में ग्रामीण उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं. आपको आपका हक मिले इसी उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मौके पर उपायुक्त जिशान कमर ने कहा कि जिला प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ देने को लेकर कृत संकल्पित है. मौके पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, डॉ सुनीता राय, पूनम मिश्रा, झालसा के सचिव एक राय, संतोष कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कांत सहाय, उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा व अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार दास समेत कई अधिकारी उपस्थित थे. मंच का संचालन मनोज कुमार सिंह ने किया. इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं सभी अतिथि न्यायाधीशों का संत मिखायल एवं संत जोसेफ विद्यालय की छात्राओं ने पारंपरिक गीत व नृत्य के साथ स्वागत किया. इससे पहले महुआडांड़ पहुंचने पर मुख्य न्यायाधीश डॉ रंजन को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

परिसंपतियों का वितरण करते डा रंजन.

112356 लाभुकों के बीच 10 करोड़ 13 लाख रुपये की परिसंपत्ति का हुआ वितरण

विधिक जागरूकता सह सशक्तीकरण शिविर में जिला प्रशासन द्वारा एक लाख 12 हजार 356 लाभुकों के बीच 10 करोड़ 13 लाख 1726 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. कार्यक्रम के दौरान 16 विभागों द्वारा कुल 463 लाभुकों को सांकेतिक रूप से योजनाओं का लाभ दिया गया. समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के बीच 10 व्हील चेयर, 81 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 40 लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड, समाजिक सुरक्षा के तहत 117 लाभुकों का पेंशन, शिक्षा विभाग द्वारा 20 बच्चों को बैग, जेएसएलपीएस द्वारा 50 आरएफ एवं 13 बैंक लिंकेज, कृषि विभाग के तत्वावधान में 30 स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड, सात जीरोटिल सीड ड्रील मशीन व डीजल पंप सेट तथा श्रम विभाग द्वारा 40 महिलाओं को साइकिल तथा 30 श्रमिक कीट का वितरण किया गया.

स्टॉलों का किया निरीक्षण

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का निरीक्षण किया. उन्होंने स्टॉलों पर पहुंच कर योजनाओं की जानकारी भी ली तथा योजना के लाभुकों को इसका हक देने के लिए पदाधिकारियों को प्रेरित किया.

लोध फॉल पहुंचे न्यायमूर्ति डॉ रंजन

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं अन्य न्यायाधीश महुआडांड़ के लोध फॉल पहुंचे और प्रकृति छटा का आनंद उठाया. उन्होंने इसे प्रकृति का एक उपहार बताया.

(Continue......................if Needed)

पलामू भास्कर

मेदिनीनगर • पांकी • छतरपुर • हुसैनाबाद • हरिहरगंज

प्रखंड कार्यालय परिसर में छठा विधिक जागरुकता कार्यक्रम, न्यायाधीश एचसी मिश्रा भी थे मौजूद

संविधान ने दिया है सबको न्याय और बराबरी का अधिकार : चीफ जस्टिस

भास्कर न्यूज़ | महुआडांड़

जिले के महुआडांड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में रविवार को छठा विधिक जागरुकता सह सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और वृद्धा पेंशन लाभुक जोवाकिम टोप्पो, मानमती देवी, लाखो कुंवर, दिव्यांग रोमानुस तिर्की एवं मिखाइल चोरठ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने सबसे पहले प्रखंड परिसर में पहुंचे ग्रामीणों का जोहार किया और हक लेने के लिए उन्हें जागरुक किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में न्याय एवं बराबरी हक सबको मिले, इसे इंगित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विकास के पथ पर चल रहा है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़े होने के कारण उनको उनका हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे किनारे और सबसे पीछे खड़े लोगों तक विकास की किरण को पहुंचाना है। डॉ. रंजन ने कहा कि ग्रामीण जागरुक होकर सरकार की योजनाओं का लाभ लें।

महुआडांड़ में विधिक जागरुकता शिविर में मौजूद ग्रामीण।

शिविर का शुभारंभ करते चीफ जस्टिस व अन्य।

मुकदमा सुनना नहीं, आपको हक दिलाना है

न्यायाधीश एचसी मिश्रा ने कहा कि आज न्यायालय आपके बीच आया है, लेकिन इसका उद्देश्य मुकदमा सुनना नहीं, बल्कि आपको आपका हक दिलाना है। उपायुक्त जिशान कमर ने कहा कि जिला प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ देने को लेकर कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा एवं विकास के पथ पर ले जाया जाएगा। मौके पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, डॉ. सुनीता राय, पूनम मिश्रा, लातेहार व्यवहार न्यायालय के पीडीजे विष्णुकांत सहाय, उपायुक्त जिशान कमर, उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा, झालसा के सचिव एके राय, संतोष कुमार, आईटीडीए निदेशक विंदेश्वरी ततमा, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, डीआरडीए निदेशक पंकज कुमार सिंह, एसडीओ सुधीर कुमार दास समेत न्यायिक पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे।

लाभुकों को 10 करोड़ 13 लाख परिसंपत्तियां बांटी

जिला प्रशासन की ओर से एक लाख 12 हजार 356 लाभुकों के बीच 10 करोड़ 13 लाख एक हजार 726 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान 16 विभाग के 463 लाभुकों को सांकेतिक रूप से लाभ दिया गया। इस दौरान समाज कल्याण दिव्यांगों के बीच 10 व्हील चेयर, 81 लाभुकों को पीएम आवास, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 40 लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा के तहत 117 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति, शिक्षा विभाग द्वारा 20 बच्चों को बैग, जेएसएलपीएस द्वारा आरएफ 50 एवं बैंक लिंकेज 13, कृषि विभाग की ओर से स्वाइल हेल्थ कार्ड 30, जीरोटिल सीड ड्रील मशीन सात, डीजल पंप सेट एवं श्रम विभाग की ओर से 40 महिलाओं को साइकिल एवं 30 औजार श्रमिक किट प्रदान किया गया। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन समेत अन्य अतिथियों ने किया। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश लोध फॉल पहुंचे एवं प्राकृतिक छटा का आनंद उठाया। इस दौरान यहां की मनमोहक वादियों को देख वे प्रफुल्लित हुए।

(Contin… if Needed)

Shot on realme 2 Pro

EMPOWERMENT CAMP

लातेहार में रविवार को परिसंपत्ती का वितरण करते मुख्य न्यायाधीश।

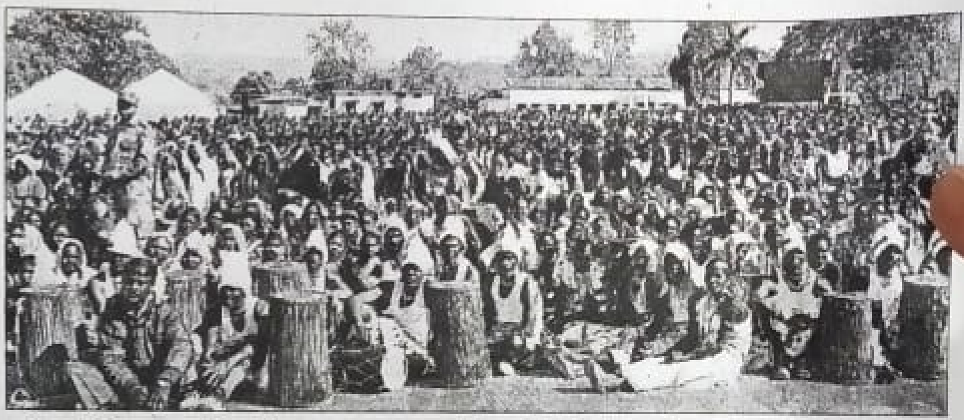

लातेहार में रविवार को आयोजित विधिक जागरुकता सह सशक्तीकरण शिविर में मौजूद ग्रामीण।

अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना लक्ष्य : चीफ जस्टिस

कार्यक्रम

लातेहार | संवाददाता

जिले के महुआडांड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में छठा विधिक जागरुकता सह सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने शिरकत की।

इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ. रंजन एवं लाभुकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने सबसे पहले प्रखंड परिसर में पहुंचे ग्रामीणों को जोहार किया एवं उनका हक लेने को लेकर जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में न्याय एवं बराबरी हक सबको मिले इसे इंगित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विकास के पथ पर चल रहा है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग है जो अंतिम पायदान पर खड़े होने के कारण उनको उनका हक नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि विधिक जागरुकता शिविर सह सशक्तीकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे किनारे एवं सबसे पीछे खड़े लोगों तक विकास की किरण को पहुंचना है।

डॉ. रंजन ने कहा सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही है और उसका लाभ लेना आपका हक है आप सभी अपने हक से वंचित नहीं जागरूक हो संचालित योजनाओं का लाभ लें। न्यायाधीश एचसी मिश्रा ने कहा कि आज न्यायालय आपके बीच आया है लेकिन इसका उद्देश्य मुकदमा सुनना नहीं बल्कि आपको आपके कानूनी हक से अवगत कराते हुए, आपको उसका हक भी मिले इसे सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार के माध्यम से योजनाएं तो संचालित हो रही है लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ आप सभी को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको आपका हक मिले इसी उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित की गई।

मौके पर मौके पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, डॉ. सुनीता राय, पुनम मिश्रा, पीडीजे विष्णुकांत सहाय, डीसी जिशान कमर, उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा, झालासा के सचिव एक राय, संतोष कुमार, आइटीडीए निदेशक विंदेश्वरी ततमा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

लोध फाल पहुंचे मुख्य न्यायाधीश : विधिक जागरुकता सहशक्तीकरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन एवं अन्य न्यायाधीश लाध फाल पहुंचे एवं प्रकृति छटा का आनंद उठाया। इस दौरान यहां कि मनमोहक वादियों को देख प्रफुल्लित हुए।

मोमेंटम देकर किया सम्मानित : विधिक जागरुकता सह सशक्तीकरण कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश एससी मिश्रा समेत अन्य न्यायाधीशों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

10 करोड़ 13 लाख परिसंपत्तियों का हुआ वितरण

विधिक सेवा प्राधिकार सह सशक्तीकरण कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से एक लाख 12 हजार 356 लाभुकों के बीच 10 करोड़ 13 लाख एक हजार 726 रुपये की परसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान 463 लाभुकों को सांकेतिक रूप से 16 विभाग के लाभुकों को लाभ दिया गया। इस दौरान समाज कल्याण दिव्यांगों के बीच 10 व्हील चेयर, 81 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 40 लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा के तहत 117 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति, शिक्षा विभाग द्वारा 20 बच्चों को बैग, जेएसएलपीएस द्वारा आरएफ 50 एवं बैंक लिकेंज 13, कृषि विभाग की ओर से स्वायल हेल्थ कार्ड 30, जीरोटिल सीड ड्रील मशीन सात, डीजल पंप सेट एवं श्रम विभाग की ओर से 40 महिलाओं को साइकिल एवं 30 औजार श्रमिक किट प्रदान किया गया। लाभुकों के बीच परसंपत्तियों का वितरण मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन समेत अन्य अतिथियों ने किया।

Shot on realme 2 Pro

(Continue......................if Needed)

लातेहार/चतरा

दैनिक जागरण

झारखंड, बिहार, प. बंगाल, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास की किरण

महुआडांड़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, मुख्य न्यायाधीश ने लाभुकों को प्रदान किया चेक

संवाद सूत्र, महुआडांड़ : जिले के महुआडांड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन शामिल हुए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश एवं लाभुकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

महुआडांड़ में लाभुक महिला को चेक देते मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन • जागरण

मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन ने सबसे पहले प्रखंड परिसर में पहुंचे ग्रामीणों को जोहार किया एवं उनका हक लेने को लेकर जागरूक किया। कहा कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में न्याय एवं बराबरी हक सबको मिले इसे इंगित किया गया है। हमारा देश विकास के पथ पर चल रहा है लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग है जो अंतिम पायदान पर खड़े होने के कारण उनको उनका हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता शिविर सह सशक्तीकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे किनारे एवं सबसे पिछे खड़े लोगों तक विकास की किरण को पहुंचना है। डॉ रंजन ने कहा सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही है और उसका लाभ लेना आपका हक है आप सभी अपने हक से वंचित नहीं जागरूक हो संचालित योजनाओं का लाभ लें। न्यायाधीश एच सी मिश्रा ने कहा कि आज न्यायालय आपके बीच आया है। लेकिन इसका उद्देश्य मुकदमों सुनने नहीं बल्कि आपको आपके कानूनी हक से अवगत ही नहीं कराए बल्कि आपको उसका हक भी मिले इसे सुनिश्चित करना है।

सरकार के माध्यम से योजनाएं तो संचालित हो रही है लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ आप सभी को नहीं मिल पा रहा है। आपसभी विकास से कोसो दूर हो जा रहे है। उपायुक्त जिशान कमर ने कहा कि जिला प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ देने को लेकर कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा एवं विकास के पथ पर ले जाया जाएगा।

इस मौके पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद,डा. सुनीता राय, पुनम मिश्रा, पीडीजे विष्णु कांत सहाय, उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा, झालसा के सचिव एके राय, संतोष कुमार, आइटीडीए निदेशक विदेश्वरी ततमा, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, डीआरडीए निदेशक पंकज कुमार सिंह, एसडीओ सुधीर कुमार दास प्रमुख समेत न्यायिक पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे। इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश डा रवि रंजन एवं सभी अतिथि न्यायाधीशों को पारंपरिक तरीके से मांदर की थाप पर स्वागत किया गया।

दस करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण

कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से एक लाख 12 हजार 356 लाभुकों के बीच 10 करोड़ 13 1 हजार 726 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। 463 लाभुकों को सांकेतिक रूप से 16 विभाग के लाभुकों को लाभ दिया गया। समाज कल्याण दिव्यांगों के बीच 10 व्हील चेयर, प्रधानमंत्री आवास 81 लाभुक, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 40 लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड,सामाजिक सुरक्षा के तहत 117 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति,शिक्षा विभाग द्वारा 20 बच्चों को बैग, जेएसएलपीएस द्वारा आरएफ 50 एवं बैंक लिंकेज 13, कृषि स्वायल हेल्थ कार्ड 30, जीरोटिल सीड डील मशीन 7, डीजल पंप सेट आदि प्रदान किया गया।

Newspaper Clipping/Cutting Related to various kind of legal services program organized during the month of February, 2020

EMPOWERMENT CAMP